SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिला अधिकार–एक संक्षिप्त अध्ययन

देव कुमार ओझा, विधि विभाग
वी.एस.एस.ड़ी कालेज, नवाबगंज, कानपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
देव कुमार ओझा
E-mail : devkumrojha@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 13/07/2024
Revised on : 11/09/2024
Accepted on : 23/09/2024
Overall Similarity : 01% on 14/09/2024

शोध सार

मानवीय अधिकार अस्मिता का कवच, विश्वशान्ति एवं कल्याण का मूल मंत्र है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुये वह अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। मानवीय चेतना अपने विकास हेतु स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है और अधिकार राज्य की माँग करते हैं। किसी भी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र का स्वरूप वहाँ की महिलाओं की प्रास्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। मूल अधिकार, मानव अधिकारों के आधारभूत, मासिक या साप्ताहिक स्तर पर, अपने निर्वाह के लिये प्राप्ति का अधिकार है। स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं को केवल नाममात्र के अधिकार प्राप्त थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के संरक्षण के लिए संसद द्वारा बहुत से विधिक उपबन्ध बनाये गये है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, परन्तु इस कटु सत्य से इंकार नही किया जा सकता है कि आज भी बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति, शोषित, उपेक्षित एवं कुण्ठित है, उनके मानवाधिकारों का सतत् उल्लंघन हो रहा है।

मुख्य शब्द

मूल अधिकार, महिलाओं, स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, महिलाओं का संरक्षण.

परिचय

मानवीय अधिकार अस्मिता का कवच, विश्वशान्ति एवं कल्याण का मूल मंत्र है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुये वह अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रीन के अनुसार मानवीय चेतना अपने विकास हेतु स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है और अधिकार राज्य की माँग करते हैं अर्थात् राज्य का अस्तित्व ही नागरिकों के

अधिकारों की रक्षा के लिए है। लास्की के मतानुसार अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ होती हैं जिनके बिना साधारणतया कोई भी व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इस पावन अधिकार को कौटिल्य ने 'धर्म' की संज्ञा दी है। किसी भी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र का स्वरूप वहाँ की महिलाओं की प्रास्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का स्वतः विकास हो जायेगा। नारी शक्ति स्वरूपा है, वहीं विश्व की पोषिका एवं गृहस्थ जीवन की मुख्य संचालिका है। इनके सुशिक्षित होने पर और बुद्धिमान होने पर ही विश्व और मानव समाज का कल्याण आधारित है। स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मानवाधिकार किसी देश या राज्य की आन्तरिक या घरेलू अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आते बल्कि यह अधिकार किसी मानव को मानव होने के नाते प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं चाहे वह स्त्री हो या पुरूष। विश्व के प्रत्येक सदस्य को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक है और ये सम्मान मनुष्य होने के नाते सभी को मिले हैं।

मानवाधिकार का अर्थ एवं परिभाषा

मानव अधिकार संवैधानिक विधानों के अन्तर्गत प्रदत्त किये जाते हैं। प्रत्येक राज्य का प्रथम लक्ष्य अपने नागरिकों का अधिकतम विकास करना होता है। मानव अधिकार की परिभाषा करना सरल नहीं है। मानव समाज में भिन्न–भिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न तरह से विभेद उपलब्ध हैं। भाषा, रंग, जन्मस्थान, जाति, धर्म आदि स्तरों पर मानव समाज में भेदभाव का बर्ताव किया जाता रहा है। सामान्य अर्थ में 'अधिकार' शब्द का आशय है कि मनुष्य कुछ मूलभूत तत्वों से संयुक्त है। मानव अधिकारों को विधिक रूप में सामाजिक एवं नैतिक रूप से परिभाषित किया गया है। आर.जे. विंसेट के अनुसार मानव अधिकार वह अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। डेविड सेलबाई ने मानवाधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुये कहा कि मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त हैं। यह स्वयं में मानवीय हैं। इसके अतिरिक्त, यह उत्पन्न नहीं किये जा सकते। वस्तुतः यह खरीद–फरोख्त या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं। न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर के अनुसार यह वह अधिकार हैं जिसके अभाव में व्यक्तित्व का हनन और प्रतिष्ठा का विनाश हो जाता है। इन मौलिक स्वतंत्रताओं के न्यून होने से, या इनमें विकृति आ जाने से मानव के दैवीय गुणों का ह्रास हो जाता है।

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त वह मूलभूत अधिकार हैं, जो उसे बिना किसी भेदभाव के मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यह अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण एवं बहुँमुखी विकास के लिए अनिवार्य हैं, यह सभी राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों में प्रत्येक व्यक्ति को मिलने आवश्यक हैं।

भारत में संवैधानिक प्रावधान तथा अन्य विधियों द्वारा महिला अधिकारों का संरक्षण

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समान श्रेणी देने की बात कही गयी है। भारत में संवैधानिक प्रावधानों तथा संविधान प्रदत्त विधियों द्वारा महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

1. संवैधानिक अधिकार;
2. विधिक अधिकार।

संवैधानिक अधिकार

भारत का संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 14–35) में मौलिक अधिकारों उल्लेख किया गया है। संविधान के मूल अधिकारों की विधिवत् घोषणा सरकार को इस बात की चेतावनी देती है कि सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग एक निश्चित दिशा में सीमित रूप से करे जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन न हो। मूल अधिकार, मानव अधिकारों के आधारभूत, मासिक या साप्ताहिक स्तर पर, अपने निर्वाह के लिये प्राप्ति का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य महिलाओं और बालकों के उत्थान के लिये विशिष्ट व्यवस्था

कर सकता है। इसी प्रावधान के तहत महिलाओं के लिये निम्न व्यवस्थाऐं की गयी हैं:

1. **कारखाना अधिनियम 1948:** इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के हित में अनेक प्रावधान किये गये, जैसे चालू यंत्रों की सफाई करने, तेल देने अथवा इस प्रकार के अन्य कोई कार्य करने के लिये महिलाओं को नियोजित नहीं किया जायेगा; उन्हें ऐसे किसी यंत्र पर नहीं लगाया जायेगा जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो, उनका रूई धुनकियों पर नियोजन निषिद्ध होगा; जिन महिलाओं के छः वर्ष से कम आयु के शिशु हैं उनके लिये पृथक शिशु–गृह एवं प्रशिक्षित महिलाओं की व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा एवं महिलाओं के लिए महिला शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी।
2. **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948:** इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि यदि कोई महिला कर्मचारी प्रसवावस्था में है, अथवा गर्भजनित बीमारी से पीड़ित है, अथवा समय पूर्व शिशु को जन्म दिया है, अथवा गर्भपात हो गया है, ऐसी महिला कर्मचारी कालिक संकाय प्राप्ति के लिये अधिकृत होगी। ऐसे कर्मचारियों को बीमारी प्रसुविधा का लाभ भी दिया जायेगा।
3. खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि महिलाओं को खान के भीतरी भाग में नियोजन पर नहीं लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी व्यवस्था की गयी है कि खान की ऊपरी सतह पर भी महिलाओं को सांय 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच नियोजन पर नहीं लगाया जायेगा एवं दो कार्य दिवसों के बीच 11 घण्टों का अंतराल होगा।
4. **प्रसूति अधिनियम, 1961:** कामकाजी महिलाओं को प्रसव के दौरान 26 सप्ताह का (दो बच्चों तक), तीसरे बच्चे की स्थिति में 12 सप्ताह का तथा गोद लिये बच्चे की स्थिति में 12 सप्ताह का (बच्चे की उम्र 3 माह से कम होने की स्थिति में), सेरोगेट मॉ की स्थिति में 12 सप्ताह का, एवं गर्भपात की दशा में 6 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त, शिशुओं के पोषण के लिये कामकाजी महिलाओं को अतिरिक्त विश्राम दिये जाने का प्रावधान भी किया गया।
5. **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:** स्त्री व पुरूष कर्मकारों हेतु समान प्रकृति के कार्य के लिये समान वेतन की व्यवस्था की गयी। अधिनियम की धारा 5 एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिये भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानान्तरण आदि के क्षेत्र में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार के विभेद को समाप्त करती है।
6. **सती प्रथा निषेध कानून, 1829:** सन् 1896 ई0 में पारित इस कानून को 16.12.1987 में संशोधित कर और कठोर बनाया गया। इस संशोधित अधिनियम के द्वारा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सती होने के लिये उकसाने वालों के लिए मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की व्यवस्था की गयी।
7. **बाल–विवाह अवरोध अधिनियम, 1929:** सन् 1929 ई. में पहली बार पारित हुये इस अधिनियम में सन् 1978 ई0 में व्यापक संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम में लड़के व लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः 21 व 18 वर्ष निर्धारित की गयी।
8. **हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856:** इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दी गयी जिससे विधवाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार की सम्भावना बढ़ सके। इसके अन्तर्गत विधवा के पुनर्विवाह से उत्पन्न संतानें भी वैध मानी गयी है।
9. **महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956:** 01 मई, 1958 ई. से लागू इस अधिनियम के द्वारा वेश्यावृत्ति को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया और वेश्यालय चलाने वाले व्यक्ति को 15 वर्ष तक का कारावास तथा दो हजार रूपये तक का अर्थ दण्ड देने की व्यवस्था की गई। यह भी व्यवस्था की गयी कि वेश्यालय में संतान के अतिरिक्त रहने वाला कोई भी बालिग व्यक्ति दो वर्ष के कारावास अथवा एक हजार रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
10. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि यदि स्त्री को गर्भ के बने

रहने से शारीरिक या मानसिक क्षति का जोखिम उठाना पड़े अथवा बच्चे के शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग उत्पन्न होने का भय हो तो रजिस्टर्ड चिकित्सक को गर्भपात करने का अधिकार होगा।

11. स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम, 1986 द्वारा महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी। महिलाओं को अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पैम्पलेट्स, चित्रों, विज्ञापनों को भी प्रतिबंध कर दिया गया।
12. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि ऐसे व्यक्ति, जो किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला पर उनका अनादर करने अथवा लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला करता है, को विशिष्ट न्यायालय के माध्यम से 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दिलायी जा सकती है।
13. **प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994:** इस अधिनियम के द्वारा गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाकर गर्भवती महिलाओं तथा अजन्मी बच्ची को क्रूरतम त्रासदी से बचाने का प्रयत्न किया गया।
14. **घरेलू हिंसा से सम्बन्धी अधिनियम, 2002:** इस अधिनियम को 13.08.2005 में संशोधित किया गया। इसके द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसाओं से मुक्ति करने का प्रयास किया गया। यदि कोई बालिका अथवा महिला अपने संरक्षक द्वारा अपने प्रति की गयी घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाती तो भी उसे विधि की दृष्टि में व्यथित व्यक्ति माना जायेगा और उसके द्वारा घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु किये गये आवेदन के दौरान न्यायालय द्वारा उसे इस कृत्य को करने वाले व्यक्ति से आर्थिक मदद दिलवाई जायेगी।

निष्कर्ष

प्राचीन समय से लेकर आज तक विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति समान नहीं रही उसमें निरन्तर उतार–चढ़ाव आता रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं को केवल नाममात्र के अधिकार प्राप्त थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के संरक्षण के लिए संसद द्वारा बहुत से विधिक उपबन्ध बनाये गये है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, परन्तु इस कटु सत्य से इंकार नही किया जा सकता है कि आज भी बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति, शोषित, उपेक्षित एवं कुण्ठित है, उनके मानवाधिकारों का सतत् उल्लंघन हो रहा है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के शब्दों में, ''यह एक कठोर सत्य है कि आज भी महिलाएं भेदभाव और अपमान की शिकार हैं जिसे देखकर लगता है कि हममें इंसानियत नाममात्र भी न रह गयी हैं और यही भारत में स्त्री–पुरूष सम्बन्धों की वास्तविकता है। आज भी भय, शोषण और हिंसा महिलाओं के जीवन में उसी तरह पीछा नहीं छोड़ पा रहा है जिस तरह मनुष्य के जीवन में मनुष्य की छाया।

संदर्भ सूची

1. त्रिपाठी, प्रदीप (2002) *मानवाधिकार और भारतीय संविधानः संरक्षण एवं विश्लेषण,* राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 13–14।
2. राय, अरूण (2002) *भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगः गठन कार्य एवं भावी पदिदृश्य,* राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 11।
3. राय, अरूण (2002) *भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगः गठन कार्य एवं भावी पदिदृश्य,* राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 11।
4. चतुर्वेदी, अरूण एवं लोढ़ा, संजय (2005) *भारत में मानवाधिकार,* पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 61।
5. शर्मा, रेखा (2004) *भारतीय संविधान एवं संविधान प्रदत्त विधियों में महिला मानवाधिकार,* आशा कौशिक द्वारा सम्पादित, मानवाधिकार और राज्य, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 205।

6. मेहता, चेतन सिंह (1993) *महिला एवं कानून,* आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 34।
7. अंसारी, एम.ए. (2000) *महिला और मानवाधिकार,* ज्योति प्रकाशन, जयपुर, पृ. 210–211।
8. अंसारी, एम.ए. (2000) *महिला और मानवाधिकार,* ज्योति प्रकाशन, जयपुर, पृ. 155।
9. अंसारी, एम.ए. (2000) *महिला और मानवाधिकार,* ज्योति प्रकाशन, जयपुर, पृ. 156।
10. नाटाणी, प्रकाश नारायण (2002) *महिला जागृति और कानून,* आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृ. 162–166।
11. शर्मा, प्रज्ञा (2001) *महिला विकास एवं सशक्तिकरण,* आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 30।
12. देसाई, नीरा (1982) *भारतीय समाज में नारी,* मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ. 119।
13. अंसारी, एम.ए. (2000) *महिला और मानवाधिकार,* ज्योति प्रकाशन, जयपुर, पृ. 192।
14. नाटाणी, प्रकाश नारायण (2002) *महिला जागृति और कानून,* आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृ. 158–159।
15. पाण्डेय, महिप कुमार (2005) *महिला अधिकारों के संरक्षण की नई दिशाऐं,* राकेश द्विवेदी द्वारा सम्पादित, महिला सशक्तिकरणः चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ, पूर्वाशा प्रकाशन, भोपाल, पृ. 203।
16. मेहता, चेतन सिंह (2005) *महिला एवं कानून,* आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
17. नाटाणी, प्रकाश नारायण (2002) *महिला जागृति और कानून,* आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृ. 159–162।
18. ओझा, सुरेश (2008) *कानूनी उपचार,* सर्जना, बीकानेर, पृ. 54।
19. परिवार परिशिष्ट, राजस्थान पत्रिका, 21 जनवरी 2009, पृ. 8।
20. वर्मा, सवालिया बिहारी; सोनी, एम.एल. एवं गुप्ता, संजीव (2005) महिला जागृति एवं कानून, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 248।
21. पाण्डेय, श्वेता (2008) मानवाधिकार एवं भारतीय नारी, लोकतन्त्र समीक्षा, सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, दिल्ली, जनवरी से जून, पृ. 96।

****